

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension of Sentence Application No.
478/2025

In

S.B. Criminal Revision Petition No. 1887/2025

1. Mohammed Sadik Son Of Abdul Hafeej, Aged About 48 Years.
2. Mohammed Sharik S/o Mohammed Sadik, Aged About 22 Years,
Both R/o G-15 Subhash Nagar Bombay Yojna Thana Mahaveer Nagar Kota Rajasthan.
(At Present Confined In Central Jail, Kota)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Abdul Kalam Khan, Adv. Mr. Sanjay Gurjar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Choudhary, Dy. GA.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL
Order

14/11/2025

1. यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 438 बीएनएसएस, याचीगण-अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अपीलीय न्यायालय-अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण संख्या-2, कोटा द्वारा फौजदारी अपील संख्या-221/2019 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 10.09.2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा विद्वान अपीलीय न्यायालय ने याचीगण-अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-06 कोटा(राज0) द्वारा नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या-1466/2012 में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांकित-27.05.2019 में दोषसिद्धि की पुष्टि कर दंडादेश को निम्न रूप से संशोधित किया गया-

अपराध अंतर्गत धारा	विचारण न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश	अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित संशोधित दंडादेश	अर्थदंड	अदम अदायगी अर्थदंड
193 भादस	05 साल साधारण कारावास	06 माह साधारण कारावास	20,000 /— रुपये	01 माह साधारण कारावास
197 भादस	03 साल साधारण कारावास	06 माह साधारण कारावास	20,000 /— रुपये	01 माह साधारण कारावास
198 भादस	05 साल साधारण कारावास	06 माह साधारण कारावास	20,000 /— रुपये	01 माह साधारण कारावास
420 / 120बी भादस	05 साल साधारण कारावास	06 माह साधारण कारावास	20,000 /— रुपये	01 माह साधारण कारावास
467 / 120बी भादस	05 साल साधारण कारावास	06 माह साधारण कारावास	20,000 /— रुपये	01 माह साधारण कारावास
468 / 120बी भादस	05 साल साधारण कारावास	06 माह साधारण कारावास	20,000 /— रुपये	01 माह साधारण कारावास
474 / 120बी भादस	05 साल साधारण कारावास	06 माह साधारण कारावास	20,000 /— रुपये	01 माह साधारण कारावास
471 / 511 भादस	01 साल साधारण कारावास	06 माह साधारण कारावास	20,000 /— रुपये	01 माह साधारण कारावास

2. विद्वान अधिवक्ता याचीगण—अभियुक्तगण की ओर से नियम 311(3) राजस्थान उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 का प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न किया गया है।

3. बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता याचीगण—अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि प्रस्तुत मामले में याचीगण—अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा पत्रावली पर उन्हें दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में याचीगण—अभियुक्तगण को अधिकतम छह माह के कारावास से दंडित किया गया है एवं उनके द्वारा प्रकरण में पांच माह की सजा पूर्ण की जा चुकी है, उनका यह भी कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किए बिना ही क्रमशः आलोच्य आदेश दिनांक 27.05.2019 एवं आदेश दिनांक 10.09.2025 पारित किए हैं, जो विधिसम्मत नहीं हैं, उनका यह भी कथन है कि याचीगण—अभियुक्तगण विचारण के दौरान जमानत पर आजाद थे एवं वे न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं, उनका यह भी कथन है कि उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तुत निगरानी के

निस्तारण में समय लगेगा, अतः न्यायहित में उनका सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

5. उप राजकीय अधिवक्ता ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये उसे खारिज करने का निवेदन किया।

6. पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

7. प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याचीगण-अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा निगरानी में उठाए गए कानूनी मुद्दों एवं निगरानी के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना याचीगण-अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः याचीगण-अभियुक्तगण 1. मोहम्मद सादिक पुत्र अब्दुल हफीज, 2. मोहम्मद शारिक पुत्र मोहम्मद सादिक की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक याचीगण/अभियुक्तगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/-रुपए (अक्षरे पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000-25000/-रुपए (अक्षरे पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये) की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वे इस न्यायालय में दिनांक 17.12.2025 को एवं तत्पश्चात् जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, उपस्थित होते रहेगे, तो विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय क्रमशः दिनांकित 27.05.2019 तथा 10.09.2025 के तहत दिए गए "दण्डादेश" (sentence) की क्रियान्विती को इस निगरानी के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जावे एवं याचीगण/अभियुक्तगण को इस प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(BHUWAN GOYAL),J